



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(Cadre Control Unit)

दिनांक : इ-हस्ताक्षरित

स्थापना आदेश संख्या : CCU-55/2026

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 43 तथा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित नियम / अनुदेश के अनुसरण में श्री राम शरण गुर्जर (जन्मतिथि-01.07.1969), अधीक्षक, ग्रुप-बी (राजपत्रित), सी.जी.एस.टी. संभाग, आबू रोड के द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत नोटिस दिनांक 13.07.2026 को स्वीकार किया जाता है एवं उन्हें दिनांक 16.10.2026 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान की जाती है।

(अमिता सिंह)

प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. अपर आयुक्त (का.एवं सत.), सी.जी.एस.टी. आयुक्तालय, जोधपुर को उनके कार्यालय के पत्र फा.स. II/(25)/494/2024-ADMN-O/o COMMR-CGST-JODHPUR I/4583242/2026 दिनांक 22.07.2026 के सन्दर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री राम शरण गुर्जर, अधीक्षक, ग्रुप-बी (राजपत्रित), को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता यथा विभागीय परिचय पत्र, ऋण अथवा विभागीय हथियार एवं सतर्कता / असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात श्री राम शरण गुर्जर, अधीक्षक को कार्यभारमुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
2. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, अलवर/जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/ अंकेक्षण जयपुर/ अंकेक्षण जोधपुर/ अपीलस, जयपुर/अपीलस, जोधपुर/ सीमा शुल्क, जोधपुर (मु. जयपुर)।
3. उप/सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी. संभाग आबू रोड।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन, जयपुर।
6. वेब मास्टर, सी.जी.एस.टी., जयपुर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी प्रति- श्री राम शरण गुर्जर, अधीक्षक, ग्रुप-बी (राजपत्रित), सी.जी.एस.टी. रेंज XXI, सिरोही संभाग- आबू रोड।
8. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।